



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड-मेजा
पूर्वाञ्चल विद्युत वितरण निगम लि०
मेजा रोड, प्रयागराज

मो० : 05334-278062

E- Mail: eddmejaald@gmail.com

CIN-31200UP2003SGC027461

पत्रांक सं०: 8157

नि०वि०खण्ड/मेजा प्रयाग०/

दिनांक: 02/12/2023

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा निम्नलिखित आवेदक को उनका सामान्य अधिकार विना एवं भार के लिए संयोजन अनुमत्य करने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाती है :-

क्र० सं०	आवेदक का नाम	घर/गाँव	मोबाइल नं०	आवेदन सं० एवं प्रकमण शुल्क धनराशिका वितरण (चालान नं०/ट्रान्जेक्शन आई०डी०/धनराशि)	उपखण्ड का नाम
1.	Rajesh Kumar Singh	5 HP	9935080582	1008355593/ P53852773/ YIC42156767696/Rs. 100	EDSD Manda
2.	RAM SRIJAN	3 HP	9935199828	1008355923/P53853507/ YIC42157973304/Rs.100	EDSD Manda
3	sursari prasad kushwaha	3 HP	8318121966	1008356051/P53853722/ YIC42158284970/Rs.100	EDSD Uruwa
4	RAM NARAYAN SINGH	3 HP	9198328618	1008356262/P53854192/ YIC42159266823/Rs.100	EDSD Koraon

- यदि आवेदक स्वीकृत समय के अन्दर आवेदन विद्युत शक्ति का उपयोग करते पाया गया तो बिना किसी पूर्व सूचना के उसका कनेक्शन काटा जा सकता है।
- विद्युत शक्ति की स्वीकृत निम्नलिखित शर्तों के आधार पर दी जायेगी।
(अ) निजी नलकूप पम्पिंग रोट नलकूप का उपयोग नहीं किया जायेगा।
(ब) यदि आवेदक किसी अन्य कनेक्शन का उपयोग करना चाहता है तो उसका कनेक्शन उसी जगह पर नहीं दिया जायेगा जब तक पुराने कनेक्शन पर विद्युत खपत की धनराशि जमा नहीं कर देते हैं।
- यदि उक्त आवेदक का कनेक्शन किसी भी सदस्य को कनेक्शन करने के लिए आवश्यक है तो आवेदक को या उसके परिवार के सदस्यों को सूचना दी जायेगी।
- स्मय-समय पर उ०प्र० पावर कनेक्शन पर विद्युत खपत की धनराशि जमा नहीं कर देते हैं।
- आवेदक यदि अपनी साइट का निर्माण अनुसार धनराशि जमा कराकर आवेदन नहीं करता है तो आवेदन दिनांक से 30 दिन के अन्दर नियम एवं शर्तों के अन्तर्गत कार्यवाही पर क्षतिपूर्ति का दावा अमान्य होगा।
- आवेदक को आवेदन दिनांक 06 महीने के अन्दर यदि कोई टी०सी० या नोटिस प्राप्त नहीं होता है तो वह स्वयं अधोहस्ताक्षरी से लिखित रूप से प्रार्थना पत्र सहित मिले।
- विभाग/शासन द्वारा निजी नलकूप का उपयोग करने की परियोजना पर जारी सभी नियम समय-समय पर लागू रहेंगे।
- उपभोक्ता की जमीन पर किराई के लिए विभाग के लिए विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।
- उपरोक्त स्वीकृत उपभोक्ता की जमीन पर कोई भी कार्य नहीं किया जायेगा।
- किसी भी विवादित स्थल पर विभाग को सूचना दी जायेगी।
- आवेदक को संयोजन स्थल पर विद्युत कनेक्शन का समय देना होगा।
- उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो सम्पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की होगी और माननीय न्यायलय का आदेश सर्वापरि होगा।
- संयोजन/सामग्री का निर्माण दिनांक 2020-21 के आधारेण द्वारा निर्धारित लख्य के अनुरूप प्राथमिकता सूची एवं सामग्री की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा।

पत्रांक सं०: 8157

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचित की जायेगी:-
- उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण निगम लि०, मेजा रोड, प्रयागराज।
 - उपखण्ड विकास अधिकारी, उ०प्र० विद्युत वितरण निगम लि०, मेजा रोड, प्रयागराज।
 - उपखण्ड विकास अधिकारी, उ०प्र० विद्युत वितरण निगम लि०, मेजा रोड, प्रयागराज।

नि०वि०खण्ड/मेजा प्रयाग०/

आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

उपखण्ड विकास अधिकारी/कोराव/उरुवा/माण्डा को सूचनार्थ एवं आवेदक का प्राक्कलन खण्डीय कार्यालय

उपखण्ड विकास अधिकारी/कोराव/उरुवा/माण्डा/प्रयागराज।

(पी०के०सोनकर)
अधिशासी अभियन्ता

दिनांक: 02/12/2023

4. आवेदनकर्ता को इस आराध से निवेदन कि वह सम्बन्धित उपकेन्द्र के अवर अभियन्ता से सम्पर्क कर 1 माह के अन्दर साइट का निरीक्षण करवाये अन्यथा प्रार्थना पत्र को कार्यवाही प्रभाव नहीं होगी।

etc (पी0के0सीनकर)
अधिशायी अभियन्ता